प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
वाराणसी।

सेवा में,

1. कुल सचिव, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी।
2. कुल सचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. कुल सचिव, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी
4. प्राचार्य, डी0ए0वी0 महाविद्यालय, वाराणसी।
5. प्राचार्य, अशोका इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैनेजमेन्ट, वाराणसी।
6. प्राचार्य, घनश्याम सिंह महाविद्यालय, लमही, वाराणसी।
7. प्राचार्य, हरिशचंद्र पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी।
8. प्राचार्य, जीवनदीप महाविद्यालय, बदलालपुर, वाराणसी।
9. प्राचार्य, माइक्रोटेक कालेज आफ मैनेजमेन्ट एण्ड टेक्नोलॉजी, वाराणसी।
10. प्राचार्य, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, वाराणसी।
11. प्राचार्य, सारनाथ बोद्धीसत्व महाविद्यालय, वाराणसी।

पत्रांक C1596 /स0क0/रा0अनु0जा0छा0/प्रवेश सूचना/2024–25 दिनांक 28.8.2024

विषय : **जनपद वाराणसी में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी एवं राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास, आशापुर, वाराणसी में वर्ष 2024–25 में प्रवेश हेतु छात्रों को सूचित करने के सम्बन्ध में।**

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, समाज कल्याण, उ0प्र0 शासन के शासनादेश सं0 1496–26–03–2011–14(3)/2011 दिनांक 06.09.2011, शासनादेश सं0 3143 दिनांक 27.09.2011 एवं शासनादेश सं0 3146 दिनांक 23.01.2012 संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि आप अपनी संस्था के संस्थागत छात्रो को सूचित करने का कष्ट करें कि संदर्भित शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार छात्रावास में प्रवेश हेतु अर्ह एवं इच्छुक छात्र दिनांक 22.08.2024 से दिनांक 20.09.2024 तक छात्रावास के कार्यालय से किसी भी कार्यालय दिवस में आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते है एवं तदोपरान्त अपनी संस्था के प्राचार्य महोदय से अग्रसारित करवाते हुए छात्रावास के कार्यालय में दिनांक 20.09.2024 तक अवश्य जमा कर दें, ताकि शासन के निर्देशानुसार छात्रावास में प्रवेश/चयन प्रक्रिया को ससमय पूर्ण किया जा सके। चयन जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा, जिसमें सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष भी सदस्य नामित है।

उपरोक्त शासनादेशानुसार छात्रावास में प्रवेश हेतु वही छात्र अर्ह होंगे जो कि समाज कल्याण विभाग अथवा कल्याण सेक्टर के अन्य विभाग द्वारा प्रदत्त की जा रही छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति प्राप्त करने की पात्रता रखते हो। छात्रावास में प्रवेश हेतु कुल उपलब्ध क्षमता का 70 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति अभ्यर्थियो के लिए आरक्षित होंगे तथा 30 प्रतिशत अन्य पिछड़े वर्ग एवं सामान्य वर्ग के छात्र के लिए होंगे। विकलांग छात्र को प्रवेश हेतु वरीयता प्रदान की जायेगी। छात्रावास में प्रवेश छात्र की योग्यता/उच्च कक्षा की प्राथमिकता/मूल निवास स्थान की दूरी के आधार पर होगा। समान योग्यता के छात्र के प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार आर्थिक होगा।

भवदीय,

28/8/24

(गिरीश चन्द दूबे)
जिला समाज कल्याण अधिकारी
वाराणसी

पृष्ठांकन सं0 व तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. जिलाधिकारी महोदय, वाराणसी ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, वाराणसी।
3. उप निदेशक, समाज कल्याण, वाराणसी मण्डल, वाराणसी।

जिला समाज कल्याण अधिकारी
वाराणसी